

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, अशोकनगर (म0प्र0)

(E-mail - dfoanagrt@mp.gov.in)

Fax- 07443-221120,

Ph- 07543-221120)

क्रमांक/डी.एम./19/ 774
प्रति,

अशोकनगर, दिनांक 12/03/2019

✓ कार्यपालन यंत्री,
राजघाट बाई नहर वितरण संभाग,
खनियाधाना जिला शिवपुरी म0प्र0

विषय :- अशोकनगर एवं शिवपुरी जिले में लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना (केन-बेतवा लिंक परियोजना) के निर्माण हेतु 968.24 हे0 वनभूमि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को उपयोग पर देने बावत् ।

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्र/एफ-3/50/2014/10-11/15/510 दिनांक 14.02.2019 एवं भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र/8-08/2016-FC दिनांक 12.02.2019

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र/8-08/2016-FC दिनांक 12.02.2019 में 01, 02 (I to XXXVII) एवं 03 शर्तें निर्धारित कर शिवपुरी एवं अशोकनगर जिले में लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना (केन-बेतवा लिंक परियोजना) के निर्माण हेतु 968.24 हे0 वनभूमि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को उपयोग पर दिये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है । भारत सरकार के पत्र की छायाप्रति संलग्न है ।

जिला अशोकनगर के अन्तर्गत 694.58 हे0 वनभूमि प्रभावित हो रही है । म.प्र.शासन आदेश क्र./एफ-5/16/2000/10-3 दि. 12.09.2008 अनुसार राशि रू0 505469800/- (रू0 पचास करोड़ चौअन लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ मात्र) नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि का निर्धारण किया गया है । अतएव आप भारत सरकार के संदर्भित पत्र के शर्त क्रमांक 02 (XI) अनुसार राशि रू0 505469800/- (रू0 पचास करोड़ चौअन लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ मात्र) ई-पोर्टल के माध्यम से जमा करावें ।

जिला शिवपुरी के अन्तर्गत प्रभावित 273.660 हे0 के लिए अधिरोपित शर्तों के अनुसार नेटप्रजेन्ट वेल्यू तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि वनमण्डल शिवपुरी की मॉग पत्र अनुसार जमा करावें ।

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र/एफ-5/निर्देश/10-11/2525 दिनांक 29.08.17 से प्राप्त निर्देशानुसार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के ई-पोर्टल के माध्यम से की जाना है । अतः आप वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के ई-पोर्टल पर अपना पंजीयन कराने के उपरान्त Praposal ID को Map कराते हुए इस कार्यालय का मॉग पत्र अपलोड करें । यदि ऑन लाईन राशि जमा करने में किसी भी

वन अपराध या अवैध शिकार से संबंधित सूचना
टोल फ्री नम्बर 155312 अथवा 1800 233 4396 पर दीजिए

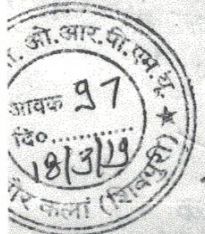
D:\All section\D.M.-Sect-06-1.doc-pk-askndvn-comp-Fax-07543-221120

3825

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल (सा.) अशोकनगर

(P.T.O.)

10/04/2019
Pg 15 Agency
with necessary
compliance.
18/3/19
P.T.O.



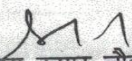
(2)

प्रकार की कठिनाई आती है तो आप अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल के कार्यालय में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

भारत सरकार के संदर्भित पत्र के शर्त क्रमांक 02 (XV) अनुसार कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (CAT) भारत सरकार/म.प्र. शासन के निर्धारित नार्मस के अनुसार वर्तमान प्रचलित दर से वनक्षेत्र के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की पृथक-पृथक योजना तैयार कर अनुमोदन उपरान्त इस कार्यालय को प्रस्तुत करें जिससे व्यय होने वाली राशि का मॉग पत्र जारी किया जा सके।

भारत सरकार के संदर्भित पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं वांछित वचन पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

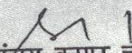

(संजय कुमार चौहान)
(भा.व.से.)

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, अशोकनगर
अशोकनगर, दिनांक -12/03/2019

पृ. क्रमांक/डी.एम./19/ 775

प्रतिलिपि :-

- 01- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर आपके संदर्भित पत्र के पालन में सूचनार्थ संप्रेषित।
- 02- मुख्य वनसंरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित। उपरोक्त योजना में वनमण्डल शिवपुरी के अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाना है जिस हेतु भारत सरकार के संदर्भित पत्र अनुसार निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाना है।
- 03- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, तुलसी नगर भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 04- आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास, जल संसाधन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन कोलार तिराहे के पास, एम.ए.सी. टी. रोड़ भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 05- वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 06- कार्यपालन यंत्री, लोअर ओर परियोजना बॉध, जल संसाधन संभाग, चन्देरी जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ~~उपरोक्तानुसार~~


(संजय कुमार चौहान)
(भा.व.से.)

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, अशोकनगर